

प्रेषक,

डा० अलका वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति/कुलसचिव, डा० ए०पी०जे०अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
2. कुलपति/कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. कुलपति/कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
5. निदेशक, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंजी०एण्डटेक्नोलोजी, झाँसी।
6. निदेशक, उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. प्रधानाचार्य, लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ।
8. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ।
9. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, आजमगढ़/बांदा/बिजनौर/अम्बेडकरनगर/
मैनपुरी/सोनभद्र/कन्नौज
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2019

विषय:-प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 03 तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के वेतन एवं स्वायत्तशासी शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन/वेतनमानों का पुनरीक्षण किये जाने/लाभ दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-7/2015-यू०-11(1), दिनांक 02.11.2017 के प्रस्तर-3(ii) में दी गई व्यवस्था के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्राविधिक विश्वविद्यालयों यथा-डा० ए०पी०जे०अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपतिगण को उनके वेतन रु० 2,10,000/- (नियत) के साथ विशेष भत्ता रूपये 5000/- प्रतिमाह किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि उनके वेतन पर आने वाला व्ययभार उक्त विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेंगे।

2. उक्त के अतिरिक्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-37/2016-टीएस.11, दिनांक 18.01.2019 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-61-1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016-17, दिनांक 01.03.2019 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी शासकीय अनुदानित डिग्री अभियंत्रण संस्थाओं के पूर्णकालिक शिक्षकों को ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित पदनाम/ वेतनबैण्ड में निम्नवत् वेतन निर्धारण किया जाता है:-

तालिका-1: संवर्ग संरचना एवं नियुक्ति की पद्धति

क्रम सं०	शिक्षण संकाय के पदनाम	प्रवेश वेतन	लेवल	नियुक्ति की पद्धति
----------	-----------------------	-------------	------	--------------------

1.	सहायक प्रोफेसर	57700	10	सीधी भर्ती
2.	सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठमान)	68900	11	प्रोन्नति
3.	सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड)	79800	12	प्रोन्नति
4.	एसोसिएट प्रोफेसर	131400	13ए1	प्रोन्नति / सीधी भर्ती
5.	प्रोफेसर	144200	14	प्रोन्नति / सीधी भर्ती
6.	वरिष्ठ प्रोफेसर	182200	15	प्रोन्नति
7.	प्राचार्य / निदेशक	144200	14	सीधी भर्ती

3. **नई वेतन संरचना :-** नई वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स शामिल होगा जिसमें लेवलों की आरोही श्रृंखलाएँ होंगी तथा प्रत्येक लेवल में आरोही सेल होंगे। नया वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को एक साधारण चार्ट में सम्मिलित करेगा, जैसा परिशिष्ट-1 में दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स में दो आयाम शामिल होंगे—लेवलों की क्षैतिज परिधि जो पदानुक्रम में निम्नतम लेवल से प्रारंभ होगी तथा उच्चतम लेवल तक ऊपर बढ़ेगी, जिसमें लेवलों को 10 से 15 तक संख्यांकित किया जायेगा और शिक्षकों के सम्पूर्ण पहलुओं को शामिल किया जायेगा। प्रत्येक लेवल के भीतर, व्यक्ति के ऊर्ध्व रूप से नीचे जाने पर वेतन में वृद्धि होगी जिसमें नीचे जाने की प्रत्येक प्रोन्नति को एक 'सेल' द्वारा दर्शाया जायेगा। उस लेवल में प्रत्येक सैल 03 प्रतिशत के वार्षिक वित्तीय उन्नयन के चरणों को दर्शाता है। भर्ती / प्रोन्नति पर शिक्षकों किसी विशेष लेवल पर कार्यभार ग्रहण करेगा तथा ऊर्ध्व परिधि के अनुसार लेवल के भीतर प्रगति करेगा। यह संचलन उसकी आगामी प्रोन्नति होने के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों पर आधारित होगा। जब शिक्षक प्रोन्नति प्राप्त करेगा, वह क्षैतिज परिधि के समाप्त होने पर आगामी लेवल में प्रवेश करेगा।

4. **लेवल और सैल :-** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को शैक्षणिक वेतन संरचना के लिये भी अपनाया जायेगा, जिसमें वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की अवधारणा के स्थान पर लेवल और सैल शामिल होंगे। यह परिवर्तन केवल तदनुरूपी ग्रेड वेतन की तुलना में शैक्षणिक ग्रेड वेतन के संदर्भ में दो क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतरों के कारण उत्पन्न होंगे। शैक्षणिक वेतन के लिये लेवल को भी समनुरूपी गैर-शैक्षणिक लेबिल के अनुसार संख्यांकित किया जायेगा। अतः लेवलों को वर्तमान रु० 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और 12000 के एजीपी के अनुरूप क्रमशः 10, 11, 12, 13ए1, 14 और 15 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा।

5. **वेतन मैट्रिक्स और संशोधित वेतन का नियतन:-** वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार किसी शिक्षक के वेतन के नियतन के लिये, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को पूर्व संशोधित संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन और शैक्षणिक ग्रेड वेतन) को 2.57 के घटक से गुणा किया जायेगा, निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार जो संख्या आएगी, उसे वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल में देखा जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल के किसी सैल में ऐसी ही कोई समान संख्या प्राप्त होती है, तो वह वेतन होगी और यदि लागू लेवल में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के लागू लेवल में तत्काल आगामी उच्च सैल में कर दिया जायेगा। यदि इस तरीके से निकाली गई संख्या उस लेवल में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मैट्रिक्स के उस लेवल के प्रथम सैल में कर दिया जायेगा।

यदि दो से अधिक अवस्थाओं को एक साथ सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित की गई प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिये 03 प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जायेगी तथा वेतन को वेतन मैट्रिक्स में समरूपी सैल में नियत किया जायेगा।

6. **एजीपी और आईओआर के साथ वेतन बैंड (युक्तिकरण का सूचकांक) :** उपर्युक्त के आधार पर, शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ वेतन के विभिन्न लेवल संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

नोट- किसी भी कॉलम के अंतिम बिंदु उस लेवल पर प्राप्त किये गये वेतन के अंतिम बिंदुओं को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसाकि पारंपरिक वेतनमान के पूर्व के प्रावधानों में था कि अंतिम बिंदु परिकलन के उद्देश्य से उस लेवल के अधिकतम वेतन को नहीं दर्शाता है। किसी भी स्तर के औसत वेतन की गणना के लिये कॉलम के अंतिम बिंदुओं को वेतनमान के अधिकतम एवं न्यूनतम वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिये।

7. **प्रवेश वेतन:-** शैक्षणिक वेतन संरचनाओं तथा लेवलों के लिये प्रवेश वेतन पूर्व अंकित तालिका-1 के अनुसार होगा।

8. **सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन:-** 01 जनवरी, 2016 को और उसके उपरांत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों का वेतन उस लेवल में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सेल पर नियत किया जायेगा, जो उस पद के लिये लागू है जिस पर ऐसा शिक्षक नियुक्त हुआ है। प्रोन्नति के मामले में शिक्षक को उस लेवल में आगामी उच्च सेल में ले जाते हुये उसके विद्यमान वेतन लेवल में एक परिकल्पित वेतन-वृद्धि प्रदान की जायेगी। इस सेल में दर्शाये गये वेतन को उस पद, जिस पर शिक्षक को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरूप नये स्तर में देखा जायेगा। यदि नए लेवल में उस वेतन के समान सेल उपलब्ध है, तो वह सेल नया वेतन होगा, अन्यथा उस लेवल पर आगामी उच्च सेल शिक्षक का नया वेतन होगा। यदि इस तरीके से निकाला गया वेतन नए लेवल में प्रथम सेल से कम है, तो उस लेवल के प्रथम सेल पर वेतन नियत किया जायेगा।

9. **वेतन-वृद्धि की तारीख :-**

(क) वार्षिक वेतनवृद्धि वेतन मैट्रिक्स में 03 प्रतिशत पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक सेल समान लेवल में पूर्व सेल की तुलना में 03 प्रतिशत अधिक होता है और निकटतम रू० 100 में पूर्णांकित किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक की वार्षिक वेतनवृद्धि समान शैक्षणिक लेवल में आगे बढ़ेगी और शिक्षक शैक्षणिक लेवल में विद्यमान सेल से समान शैक्षणिक लेवल में तत्काल आगामी सेल में चला जायेगा।

(ख) प्रत्येक वर्ष वेतनवृद्धि की दो तारीखें होगी, अर्थात् 01 जनवरी और 01 जुलाई परंतु यह कि कर्मचारी उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने की तारीख के अनुसार इन दो तारीखों में से किसी एक पर ही केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

(ग) 02 जनवरी और 01 जुलाई (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत शिक्षक के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को प्रदान की जाएगी तथा 02 जुलाई और 01 जनवरी (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त अथवा प्रोन्नत शिक्षक के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को प्रदान की जाएगी।

10. **7वें सीपीसी स्केल के कियान्वयन के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता:-**

केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी शासकीय डिग्री अभियंत्रण संस्थाओं/राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिये संशोधित वेतनमानों के कियान्वयन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (01.01.2016 से 31.03.2019 तक बकाया राशि) की 50 प्रतिशत राशि प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को दावा प्रस्तुत करेगी। ऐसे सभी दावों को राज्य सरकार दिनांक 31.03.2020 को या इससे पहले केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगी। दिनांक 31.03.2020 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी दावे को वित्तीय सहायता के लिये विचार नहीं किया जायेगा। निर्दिष्ट वित्तीय सहायता केवल दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिये प्रदान की जाएगी। दिनांक 01.04.2019 से वेतनमानों आदि के संशोधन के फलस्वरूप सम्पूर्ण दायित्व वेतनमानों के संशोधन का विकल्प चुनने वाली राज्य सरकार द्वारा ग्रहण कर लिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता वेतनमानों के संशोधन तक सीमित होगी न कि किसी अन्य भत्ते के लिये, और केवल उन्हीं पदों के संबंध में होगी, जो दिनांक 01.01.2016 को विद्यमान थे और नियमित आधार पर भरे गये थे। इस योजना के कियान्वयन के लिये केन्द्रीय सहायता का संदाय (पेमेंट) इस शर्त के

अध्यधीन भी है कि विनियमों और अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों के साथ वेतनमानों के संशोधन की सम्पूर्ण योजना का राज्य तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली तकनीकी संस्थाओं द्वारा एक संयोजित योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से इस आशय का वचन लिया जाएगा कि वेतन के गलत नियतन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से किए गए किसी अधिक भुगतान की राशि का समायोजन लाभार्थी को देय किसी भावी भुगतान से किया जाएगा अथवा अन्यथा उसी रीति से किया जाएगा जो वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का0ज्ञा0सं0-एफ. 1-1/2सीक्यू 8आईसी, दिनांक 30.08.2008 के साथ पठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के का0ज्ञा0सं0-एफ. 23-7/2008-आईएफडी, दिनांक 23.01.2008 में उपबंधित की गई है। इस योजना के अंतर्गत वेतन की बकाया राशि (एरियर) और लागू भत्तों के साथ संशोधित वेतन, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, का भुगतान सभी पात्र लाभार्थियों को लागू होने की तारीख से किया जाएगा।

11. उपरोक्त संशोधित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू माने जायेंगे।
12. प्रकरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.01.2019 एवं AICTE की अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. तीनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वेतन पर आने वाला व्यय-भार संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
14. शासकीय सहायता प्राप्त प्राविधिक संस्थानों के शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षण AICTE के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। भत्ते राज्य सरकार के अनुसार अनुमन्य किये जायेंगे।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-11-1015/दस-2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(डा0 अलका वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4392(1)/सोलह-1-2019-14(4)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च विभाग विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-1-7/2015-यू.11(1), दिनांक 02.11.2017
4. अनु सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-1-37/2016-टीएस-II, दिनांक 18.01.2019 के संदर्भ में।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0शासन।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवध किशोर)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-4342(2)/सोलह-1-2019-14(4)/2010, दिनांक नवम्बर, 2019 का संलग्नक

परिशिष्ट-1

डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं के लिये वेतन मैट्रिक्स तालिका

(सभी आंकड़े रुपये (रु) में हैं)						
6वें केन्द्रीय वेतन आयोग में वेतन बैंड	15600-39100			37400-67000		67000-79000
केंद्र शीर्षक	सहायक प्रोफेसर			एसोसिएट प्रोफेसर	प्रोफेसर	वरिष्ठ प्रोफेसर
6वें केन्द्रीय वेतन आयोग में ग्रेड वेतन	6000	7000	8000	9000	10000	0
प्रवेश वेतन	21600	25790	29900	49200	53000	67000
सैल संख्या स्तर	10	11	12	13ए1	14	15
1.	57,700	68,900	79,800	1,31,400	1,44,200	1,82,200
2.	59,400	71,000	82,200	1,35,300	1,48,500	1,87,700
3.	61,200	73,100	84,700	1,39,400	1,53,000	1,93,300
4.	63,000	75,300	87,200	1,43,600	1,57,600	1,99,100
5.	64,900	77,600	89,800	1,47,900	1,62,300	2,05,100
6.	66,800	79,900	92,500	1,52,300	1,67,200	2,11,300
7.	68,800	82,300	95,300	1,56,900	1,72,200	2,17,600
8.	70,900	84,800	98,200	1,61,600	1,77,400	2,24,100
9.	73,000	87,300	1,01,100	1,66,400	1,82,700	
10.	75,200	89,900	1,04,100	1,71,400	1,88,200	
11.	77,500	92,600	1,07,200	1,76,500	1,93,800	
12.	79,800	95,400	1,10,400	1,81,800	1,99,600	
13.	82,200	98,300	1,13,700	1,87,300	2,05,600	
14.	84,700	1,01,200	1,17,100	1,92,900	2,11,800	
15.	87,200	1,04,200	1,20,600	1,98,700	2,18,200	
16.	89,800	1,07,300	1,24,200	2,04,700		
17.	92,500	1,10,500	1,27,900	2,10,800		
18.	95,300	1,13,800	1,31,700	2,17,100		
19.	98,200	1,17,200	1,35,700			
20.	1,01,100	1,20,700	1,39,800			
21.	1,04,100	1,24,300	1,44,000			
22.	1,07,200	1,28,000	1,48,300			
23.	1,10,400	1,31,800	1,52,700			
24.	1,13,700	1,35,800	1,57,300			
25.	1,17,100	1,39,900	1,62,000			
26.	1,20,600	1,44,100	1,66,900			
27.	1,24,200	1,48,400	1,71,900			
28.	1,27,900	1,52,900	1,77,100			
29.	1,31,700	1,57,500	1,82,400			
30.	1,35,700	1,62,200	1,87,900			
31.	1,39,800	1,67,100	1,93,500			
32.	1,44,000	1,72,100	1,99,300			
33.	1,48,300	1,77,300	2,05,300			
34.	1,52,700	1,82,600	2,11,500			
35.	1,57,300	1,88,100				
36.	1,62,000	1,93,700				
37.	1,66,900	1,99,500				
38.	1,71,900	2,05,500				
39.	1,77,100					
40.	1,82,400					

(अवध किशोर)
उप सचिव।